बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

ग्रा0वि0 अधि0 सं0- 346597 पटना, दिनांक 05-01-2018

ग्रा0वि0-14(सा0)सि0-07/2016

श्री राजीव कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हड़िया, जिला- सिवान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक- 3074 दिनांक- 28.10.2016 द्वारा पंचायत निर्वाचन 2016 के दृष्टिगत आयोजित बैठक से अनुपस्थित रहने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही यथा NREP-2016 की समीक्षा बैठक में सूचना के बावजूद भी 30 की जगह पर मात्र 19 पर्यवेक्षकों की उपस्थिति; पेंशन एवं एन0पी0आर0 डाटा का अद्यतन इंट्री नहीं करवाने; सुदिष्ट कुमार, पंचायत सचिव के विरूद्ध किए गए एफ0आई0आर0 की प्रति कार्यालय से गुम होने आदि के आरोप में विहित आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सिवान का मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

दूसरे आरोप के संदर्भ में श्री सिन्हा का कहना है कि NREP-2016 की समीक्षा बैठक में बुलाने हेतु सभी 30 पर्यवेक्षकों को मोबाईल पर सूचना दी गई। तथापि अनुपस्थित पर्यवेक्षकों के विरूद्ध इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

श्री सिन्हा द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान को पत्रांक- 266(ii) दिनांक- 05.08.2016 से समर्पित स्पष्टीकरण में श्री सुदिष्ट कुमार, पंचायत सचिव के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी की छाया प्रति गुम होने की बात कही गई है जबकि इनके द्वारा श्री सुदिष्ट कुमार के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी दिनांक- 17.03.2017 की तिथि में है। उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित होता है कि श्री सिन्हा के द्वारा कथित दर्ज की गयी प्राथमिकी, जिसका उल्लेख उनके पत्रांक- 266(ii) दिनांक- 05.08.2016 के स्पष्टीकरण में किया गया है, स्पष्टीकरण की तिथि के पूर्व दर्ज ही नहीं की गयी।

श्री सिन्हा द्वारा बरती गई उक्त लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत इन्हें 'निन्दन' की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

2) श्री सिन्हा को अधिरोपित उक्त शास्ति को इनके चारित्री में दर्ज की जाय।

3) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/1/18

(संजय कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 346597/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 05-01-2018

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंके में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0.....

F:\Section-14\Year 2016\Office Order\Adhisuchana (2017) 04.doc

चपरासी
बही/निबंधित/
ईमेल/हाथोंहाथ

ज्ञापांकः- 346597 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 05.01.2018

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सिवान / जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान / उप विकास आयुक्त, सिवान / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 / प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः- 346597 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 05.01.2018

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव।